# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी—श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०**

**प्रकरण संख्या— 11/2017**

**बउनवान**

परमानन्द आयु 70 साल पुत्र श्री विरज्या जाति—मीणा निवासी—थामली तहसील—बारां जिला—बारां (राज.)

**(अपीलांट)**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :—1. श्री पिंकेश जगरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक— 10.11.2021**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सीमली, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 980 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/—रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित [illegible] विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ [illegible] का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:41 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु नियत की गयी।

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 04.12.2017 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांट आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 27/12 निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 980 रकबा 0.80 है0 ग्राम सीमली पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 27/12 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1133/15 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां